



भारत गुरुकुल
2023-2024



पूर्व मध्य रेल

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
हाजीपुर

सं० -ईसीआर/एचआरडी/सेटलमेंट/पेंशन अदालत/25

दिनांक: 17.10.2025

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर ।

विषय :-दिनांक 15.12.2025 को आयोजित होनेवाले पेंशन अदालत का
अधिसूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।

.....

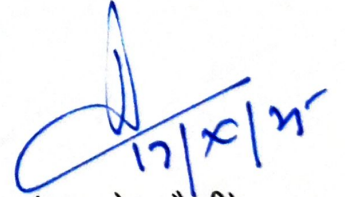
रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों/कार्यालयों में "पेंशन अदालत" का आयोजन दिनांक 15.12.2025 (सोमवार) को निर्धारित है। इसके लिए प्रकाशित किये जाने वाले अधिसूचना की प्रति हिन्दी एवं अंग्रेजी में संलग्न है।

कृपया अनुमोदित अधिसूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों में दिनांक 21.10.2025 या उसके पूर्व प्रकाशन की व्यवस्था की जाए । साथ ही आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31.10.2025 को बोल्ड अक्षरों में प्रकाशित की जाए।

इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि यह सूचना पूर्व मध्य रेल मुख्यालय सहित सभी पाँचों मंडलों के भौगोलिक क्षेत्रों से प्रकाशित हो।

प्रभार्य लेखा शीर्ष (03.313.99)

संलग्न: यथोक्त ।


17/10/25

(एम० के० चौधरी)
सकाधि/बिल
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर

पूर्व मध्य रेल

पेंशन अदालत- 15.12.2025 हेतु सूचना
आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31.10.2025

पेंशन परिवारों के निष्पादन के लिए पेंशन अदालत का आयोजन 15 दिसम्बर 2025 (सोमवार) को 11.00 बजे निम्नलिखित स्थलों पर किया जायेगा :

क्रम सं०	पेंशन अदालत हेतु आयोजन स्थल	उनके लिए जो निम्न जगह से सेवानिवृत्त हुए	आवेदन किन्हे संबोधित करे (परिवाद निम्नलिखित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए)
1.	जोनल मुख्यालय/ पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर	मुख्यालय कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल/ हाजीपुर	उप मुख्य कार्मिक अधिकारी(आई.आर.एण्ड.डब्लू.) पूर्व मध्य रेल/ हाजीपुर
2.	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, सोनपुर	सोनपुर मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीकृत स्थापनाएं	वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/ पूर्व मध्य रेल/ सोनपुर
3.	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर	समस्तीपुर मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीकृत स्थापनाएं	वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी / पूर्व मध्य रेल/ समस्तीपुर
4.	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, धनबाद	धनबाद मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीकृत स्थापनाएं	वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी / पूर्व मध्य रेल/ धनबाद
5.	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, डीडीयू	डीडीयू मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीकृत स्थापनाएं	वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी पूर्व मध्य रेल/ डीडीयू
6.	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, दानापुर	दानापुर मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीकृत स्थापनाएं	वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी / पूर्व मध्य रेल/ दानापुर
7.	यांत्रिक कारखाना/ पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर	यांत्रिक रेल कारखाना, समस्तीपुर	सहायक कार्मिक अधिकारी / पूर्व मध्य रेल/ यांत्रिक कारखाना, समस्तीपुर
8.	प्लांट डिपो/ पूर्व मध्य रेल, डीडीयू	प्लांट डिपो, डीडीयू	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / पूर्व मध्य रेल/ प्लांट डिपो, डीडीयू
9.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण कार्यालय पूर्व मध्य रेल, महेन्दुघाट / पटना	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण कार्यालय/पूमरे/ महेन्दुघाट / पटना	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/निर्माण/ पूर्व मध्य रेल, महेन्दुघाट/ पटना
10.	मुख्य कारखाना प्रबंधक, कार्यालय/पूर्व मध्य रेल, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत	मुख्य कारखाना प्रबंधक सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत	मुख्य कारखाना प्रबंधक/सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना/हरनौत

उक्त पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए कृपया अपना पूरा विवरण निम्न प्रारूप में संबंधित कार्मिक अधिकारी को दिनांक - 31.10.2025 तक समर्पित करें।

1	आवेदक का नाम:-	8	सेवानिवृत्ति के प्रकार (सामान्य/स्वैच्छिक/अनिवार्य):-
2	भूतपूर्व कर्मचारी का नाम :-	9	भू0पू0 कर्मचारी की मृत्यु की तिथि :-
3	पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थल :-	10	अंतिम वेतन एवं वेतन मान:-
4	भू0पू0 कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंध:-	11	वर्तमान पता:-
5	सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रक अधिकारी:-	12	पेंशन भुगतान आदेश संख्या :- (प्रति संलग्न करें)
6	सेवानिवृत्ति की तिथि:-	13	शिकायतों का विस्तृत विवरण:-
7	आवेदक का मोबाईल संख्या	14	आवेदक का हस्ताक्षर

अपनी शिकायत एक लिफाफा में उपर दिये गये प्रारूप में जिसके उपर पेंशन अदालत 15.12.2025 लिखा हो, उपरोक्त संबंधित कार्मिक अधिकारी को भेजें जिसे दि० 31.10.2025 तक अथवा इसके पूर्व उन्हें अवश्य पहुँच जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दे कि वे शिकायतों जो पेंशन से जुड़ी नहीं हैं जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितों के नियोजन, कालबद्ध वेतन का भुगतान, भत्तों एवं वेतन की बढ़ोतरी आदि, पेंशन अदालत के विचारणीय नहीं होगी।

सेवानिवृत्त जीवन के 15 वर्ष पूरा कर चुके सेवा निवृत्ति रेलवे कर्मचारी कृपया ध्यान दें :-सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कम्प्यूटेशन (साराशीकरण) की तिथि से 15 वर्ष पूरा होने पर पेंशन (वर्तमान पेंशन + साराशीकरण) के भुगतान हेतु कृपया पेंशन वितरण पदाधिकारी (अर्थात बैंक/डाकघर आदि) से सीधा सम्पर्क करें।

(एम० के० चौधरी)
सहायक कार्मिक अधिकारी/बिल
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

**EAST CENTRAL RAILWAY
NOTICE FOR PENSION ADALAT – 15.12.2025**

Last date of receipt of grievance 31.10.2025

Pension Adalat will be organized on 15.12.2025(Monday) at 11.00 am for disposal of the grievances pertaining to pension(On the spot redressal) at the following venues-

SL.	Venues of Pension Adalat	For those who retired from	Grievances should be submitted to the Office of:
1	Zonal Office (HQ) /Hajipur	General Manager's Office/ECR/Hajipur	DY.Chief personnel Officer (IR&W), East Central Railway, Hajipur
2	Divisional Railway Manager 's office, Sonpur	Sonpur Division and non - divisionalised establishments situated within division	Senior Divisional Personnel Officer, East Central Railway, Sonpur .
3	Divisional Railway Manager 's office, Samastipur	Samastipur Division and non - divisionalised establishments situated within division	Senior Divisional Personnel Officer, East Central Railway, Samastipur
4	Divisional Railway Manager office's, Dhanbad	Dhanbad Division and non - divisionalised establishments situated within division	Senior Divisional Personnel Officer, East Central Railway, Dhanbad
5	Divisional Railway Manager office 's, DDU	DDU Division. and non - divisionalised establishments situated within division	Senior Divisional Personnel Officer, East Central Railway, DDU.
6	Divisional Railway Manager office 's, Danapur	Danapur Division and non - divisionalised establishments situated within division	Senior Divisional Personnel Officer, East Central Railway, Danapur
7	Mechanical Workshop Manager Office 's Workshop, Samastipur	Railway Workshop, Samastipur	Assistant Personnel Officer, Mechanical workshop East Central Railway, Samastipur
8	Chief Workshop Manager 's office Plant Depot, DDU	Plant Depot, DDU	Senior Personnel Officer, Plant Depot, East Central Railway, DDU.
9	Chief Administrative Officer/ CON's office Mahendrughat Patna	Chief Administrative Officer /Con office/ Mahendrughat Patna	Senior Personnel Officer /Con. CAO (Con) office, East Central Railway, Mahendrughat , Patna.
10	Chief Workshop Manager 's Carriage Repair workshop Harnaut	Chief Workshop Manager, Carriage Repair Workshop ,Harnaut	Chief Workshop Manager, Carriage Repair Workshop, East Central Railway, Harnaut

Pensioners may submit their grievances in the following FORMAT to the concerned Personnel officer Mentioned above up to 31.10.2025

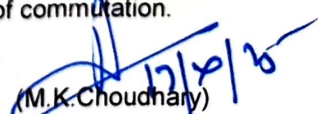
1	Name of the applicant: -	8	Whether normal /Voluntary/Compulsory Retirement
2	Name of the ex. Employee: -	9	Date of death of ex. Employee: -
3	Designation & Last place of posting: -	10	Last pay drawn and scale of pay: -
4	Relation of applicant with ex. Employee: -	11	Present postal address:-
5	Controlling Officer at the time of retirement:	12	Pension Payment order No. (Enclosed in Xerox copy)
6	Date of retirement: -	13	Details of grievances: -
7	Mobile number of the applicant: -	14	Signature of applicant

Representation in the above FORMAT should be sent in an envelope having super scribed with Pension Adalat-15.12.2025 so as to reach the concerned Personnel officer latest by 31.10.2025.

Please note that grievances not connected with final settlement dues such as request for compassionate ground appointment/employment of wards, payment of time barred salary, allowances and stepping of pay etc. do not come within the preview of the "PENSION ADALAT". Representation regarding pension /settlement payment only will be entertained.

ATTENTION FOR RETIRED RLY. EMPLOYEES WHO HAVE COMPLETED 15 YEARS OF RETIRED LIFE

Retired Railway employees may please directly contact pension-disbursing authority (i.e Bank/Post office etc.) for payment of full pension (Present pension + commuted amount) on completion of 15 years from the date of commutation.


(M.K. Choudhary)
Asstt. Personnel Officer / (Bill)
East Central Railway /Hajipur